

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स: जज

**अमरनाथ पारीक बनाम विमल कुमार
93 / 13 (जीसीएमएस नम्बर 2013 / 00038)**

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रकरण में रूक-रूककर फिर से कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2013 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे है तथा उन्हें अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके उपरान्त आज भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम-हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)

संभागीय आयुक्त
जयपुर